

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ म.प्र.

क्रमांक.....¹⁸⁸ / सा.अनु. / 2020

झाबुआ, दिनांक 14 अप्रैल, 2020

सार्वजनिक सूचना


माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 03.05.2020 तक के लिए पूरे देश में लागू किये गये पूर्ण लॉक-डाउन के आधार पर माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के परिपत्र क्रमांक- क्यू 6 जबलपुर, दिनांक 14.04.2020 के द्वारा जारी निर्देशों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक क्यू-5 जबलपुर, दिनांक 25.03.2020 को दिनांक 03.05.2020 तक की अवधि के लिए विस्तारित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्र.क्यू-6 जबलपुर, दिनांक 14.04.2020 तथा परिपत्र क्र. क्यू-5 जबलपुर, दिनांक 25.03.2020 के अनुक्रम में दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक की अवधि के लिए म.प्र. राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में अकार्य दिवस रहेगा और उक्त अवधि में जिला स्थापना झाबुआ/बाह्यवर्ती न्यायालय थांदला, पेटलावद बंद रहेंगे और उनमें कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जावेगा।

जिला स्थापना झाबुआ/बाह्यवर्ती न्यायालय थांदला, पेटलावद में माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भित सर्कुलर दिनांक 14.04.2020 तथा दिनांक 25.03.2020 के पालन में दिनांक 03.05.2020 तक न्यायालय में अकार्य दिवस होकर न्यायालय बंद रहेंगे। अतः ऐसी दशा में जिला एवं सत्र न्यायालय/संबंधित अपर जिला न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं वर्ग-2 के न्यायालय (मुख्यालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में लंबित समस्त प्रकरणों) में सुनवाई हेतु नियत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों (अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण जमानत/रिमाण्ड/निषेधाज्ञा संबंधी आवेदनों को छोड़कर) दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक आगामी तिथियां निम्नानुसार नियत रहेंगी:-


अनु क्र.	पूर्व से नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत की गई पेशी दिनांक
1	15.04.2020	11.05.2020
2	16.04.2020	12.05.2020
3	17.04.2020	13.05.2020

4	20.04.2020	14.05.2020
5	21.04.2020	15.05.2020
6	22.04.2020	18.05.2020
7	23.04.2020	19.05.2020
8	24.04.2020	20.05.2020
9	25.04.2020	21.05.2020
10	27.04.2020	22.05.2020
11	28.04.2020	23.05.2020
12	29.04.2020	26.05.2020
13	30.04.2020	27.05.2020
14	01.05.2020	28.05.2020
15	02.05.2020	29.05.2020


14.05.2020
(महेश कुमार शर्मा)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ म.प्र.

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर उक्त सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, झाबुआ की ओर सभी संबंधितों को ई-मेल किये जाने हेतु प्रेषित।
7. जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ की ओर दिनांक ~~14.04~~ 03.05 2020 तक समस्त अनुविभागीय अधिकारी/थाना प्रभारी को जमानत/रिमाण्ड संबंधी कार्यवाही हेतु केस डायरी मय कैफियत प्रत्येक दिवस में 4 से 5 के मध्य की अवधि में प्रस्तुत किये जाने हेतु सुनिश्चित किये जाने के निर्देश के साथ प्रेषित।
9. अधीक्षक, जिला जेल, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
10. शासकीय अभिभाषक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
11. जनसंपर्क अधिकारी, झाबुआ की ओर समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थ।
12. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायालय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(महेश कुमार शर्मा)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ म.प्र.